

आयुक्त का कार्थालय, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL G.S.T. & CENTRAL EXCISE, GANDHINAGAR

सीमा-शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380009 Ph. 079-27542195, Fax: 27543676



व्यापार स्चना स. 05/2018/ केन्द्रीय जी.एस.टी. Trade Notice No.05/2018/GST

विषयः केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी आदेश/परिपत्र /अधिसूचना / अधिसूचनाओं का प्रेषण ।

The following Notifications/Circulars/Orders issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) is enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formation. The Notifications are self-explanatory.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना/ अधिसूचनाओं की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है

क्रम	आदेश/अधिसूचना/प रिपत्र सख्या	दिनांक	विषय	व्यापार सूचना सख्या
1	12/2018-Central Tax	07.03.2018	Second Amendment (2018) to CGST Rules,2017	
2	13/2018-Central Tax	07.03.2018	Rescinding notification No. 06/2018 – Central Tax dated 23.01.2018	
3	Circular No. 33/07/2018-GST	23.02.2018	Directions under Section 168 of the CGST Act regarding non-transition of CENVAT credit under section 140 of CGST Act or non-utilization thereof in certain cases-reg	व्यापार सूचना स 05/ 2018/ केंद्रीय उत्पाद शुल्क
4	Circular No. 34/08/2018-GST	01.03.2018	Clarification regarding GST in respect of certain services.	Trade Notice No. 05/ 2018/ Central
5	Circular No. 35/09/2018-GST	05.03.2018	Clarification regarding taxable services provided by the member of the Joint Venture(JV) to the JV and vice versa and inter se between the members of the JV	Excise
6	Circular No. 36/10/2018-GST	13.03.2018	Processing of refund application for UIN entities	

आदेश/परिपत्र /अधिसूचना / अधिसूचनाएँ स्वतः स्पष्ट है |

Notification is self-explanatory.

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार संघ / वाणिज्य मूण्ड्ल ओर क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सद्स्यों से य्'ह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सद्स्यों / विनिम्नाताओं के ध्यान में ला दें !

All JDC/JAC of CGST, GANDHINAGAR are directed to bring this to the notice of all Range officers under their charge. The above mentioned Notifications/Circulars/Orders may be downloaded from the Government site http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst/index.

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त को निदेश दिये जाते हे कि वे अपने प्रभार के सभी अधीन्स्थ परिक्षेत्र अधिकारीयों के ध्यान में ला दे।

34/1/1 रियोगील अपर आयुक्त 20 : 0 3 : 1 &

केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

गांधीनगर

फा.सं. IV / 16--21 / MP / 2017-TN

दिनांक : 14.03.2018

प्रतिलिपि प्रेषितः प्रशासनिक अधिकारी एवं अधीक्षक (प्रणाली) केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर को, विभागीय डाक सूची के अनुसार इस आदेश परिपत्र/ अधिस्चना/ अधिस्चनाओं का परिसंचरण करने के लिए।

Copy to:

1. Administrative Officer (ADM), CGST Gandhinagar.

2. The Superintendent, System, H.Q., CGST Gandhinagar to upload on website